न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 87 / 2021
निर्णय दिनांक: 02.03.2022

1. अब्दुल हसन पुत्र अब्दुल लतीफ, निवासी टैम्पो स्टैण्ड के पास, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र हनुमान सहाय, जाति खाती, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. छोटा देवी पुत्री कल्याण, जाति खाती, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. गोपी देवी पुत्री कल्याण, जाति खाती, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. भगवान सहाय पुत्र रामकरण, जाति यादव, निवासी ग्राम ग्वार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. रामजीलाल पुत्र रामकरण, जाति यादव, निवासी ग्राम ग्वार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. जगदीश पुत्र रामचन्द्र, जाति यादव, निवासी ग्राम ग्वार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. प्रेम देवी पत्नी रामचन्द्र, जाति यादव, निवासी ग्राम ग्वार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. बंशीलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति यादव, निवासी ग्राम ग्वार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति यादव, निवासी ग्राम ग्वार ब्राह्मणान, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. कैलाश पुत्र भंवरीलाल, जाति यादव, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. किशनलाल पुत्र गंगाराम, जाति यादव, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. गोपाल लाल पुत्र भंवरीलाल, जाति यादव, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. [illegible]मलाल पुत्र भौरीलाल, जाति यादव, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
14. हजारी लाल पुत्र गंगाराम, जाति यादव, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
15. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण, कार्यालय जवाहर लाल नेहरू मार्ग, तहसील जयपुर, जिला जयपुर।
16. राजस्थान राज्य सरकार जरिये त[illegible] सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र ब[illegible]

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी ने इस आशय की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि ग्राम बक्सावाला, पटवार श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख नि. वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित

Jul 26, 2022, 18:43

कृषि भूमि खाता संख्या 3/2 में भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, कुल किता 7 रकबा 3.0800 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार अब्दुल लतीफ कागजी पुत्र स्व. श्री नजीर मोहम्मद कागजी हिस्सा पूर्ण है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2075–2078 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। उक्त भूमि के मूल खातेदार काश्तकार का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसान में अमीना बेगम, अबुल हसन, जावेद खान कागजी, अब्दुल जब्बार, मोहम्मद इकबाल, इमरान खान है जिसमें से यह प्रार्थना–पत्र उसके वारिस प्रार्थी अबुल हसन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांक/भू.अ./20/3446 दिनांक 14.12.2020 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 31.03.2021 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त है। उक्त भूमि के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 34, 34/1, 34/2 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है, पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 45 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 15 है, पश्चिम दिशा में ग्राम ग्वार ब्राह्मण्णान के खसरा नम्बर 912, 915, 896/1014 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 है, दक्षिण दिशा में ग्राम ग्वार ब्राह्मण्णान के खसरा नम्बर 933, 934 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 15 आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी देते है और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थी अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है और उस पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करना चाहता है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद–विवाद नही करे इसलिए प्रार्थी को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है। अतः प्रार्थना है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 3/2 में भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, कुल किता 7 रकबा 3.0800 हैक्टेयर ग्राम वक्सावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख नि. वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 31.03.2021 के अनुसार स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 10.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 की ओर से श्री शिशुपाल जाट एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को जारी रजिस्टर ए.डी. नोटिस की रसीदें मय ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिनांक 25.02.2022 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 के अधिवक्ता द्वारा पत्थरगढी करने में सहमति हेतु इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 के मध्य खसरा नम्बर ... 34 की सींव पर सीमाज्ञान का विवाद था तथा अब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 के मध्य प्रार्थी के खसरा नम्बर 43 व 44 तथा अप्रार्थी के खसरा नम्बर 933 व 934 की सीमा के विवाद को दोनों पक्षों द्वारा मौके पर नाप चोक कर ... प्रथम पक्ष द्वारा उसकी सीमा पर पक्की दीवार का निर्माण कार्य कर लिया है तथा अब दोनों के मध्य सीमा का विवाद शेष नही रहा है। प्रथम पक्ष प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 की तरफ पक्की दीवार को सीमा मानकर या उसके बाद व अन्य तीनों दिशाओं में सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवायी जाती है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अतः प्रार्थना पत्र दोनों पक्ष प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 द्वारा आपसी सहमति से प्रस्तुत कर निवेदन है

अधिकारी
सांगानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:35 IST
Reason: SelfAttested

26, 2022, 18:43

कि उक्तानुसार सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जाने पर हम सहमति प्रदान करते है। दिनांक 02.03.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे तथा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 15 एवं 16 के तामिलशुदा नोटिस प्राप्त हुए।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस हेतु निवेदन किया, बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद–विवाद नही रहें। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 के मध्य सीमा विवाद को लेकर राजीनामा किया चुका है और प्रार्थी ने उक्त वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी दिशा की ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कर लिया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 14 के अधिवक्ता ने स्थाई सीमाचिन्ह कायम कर पत्थरगढी किये जाने में अनापत्ति जाहिर की, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 3/2 में भूमि खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.9100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.6700 हैक्टेयर, कुल किता 7 रकबा 3.0800 हैक्टेयर ग्राम बक्सावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख नि. वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 31.03.2021 के अनुसार के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद दक्षिणी दिशा को छोडते हुए स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:03:35 IST
Reason: SelfAttested